संख्या-28/2016-912/58-2016-118/2016

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 07 अप्रैल, 2016**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ले0मि0561/डी0बी0टी0/नि0नी02016-17/ लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में रोपण सामग्री एवं अन्य आवश्यक औद्यानिक एवं कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डी0बी0टी0) के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के द्वारा स्थानान्तरित किये जाने के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1- **फलदार/शोभाकार पौधों की व्यवस्था-**

विभाग में संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत आवश्यक फलदार पौधे यथा-आम, अमरूद, आंवला, बेल, बेर, लीची, पपीता, किन्नो एवं गुलाब की रोपण सामग्री को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय राजकीय पौधशालाओं से नकद मूल्य पर लाभार्थी कृषकों द्वारा क्रय किया जायेगा। अनुपलब्धता की दशा में पौधों की व्यवस्था सी.आई.एस.एच./प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों/निजी क्षेत्र की एक्रीडिटेटेड पौधशालाओं से उनकी दरों पर नकद मूल्य पर क्रय करके किया जा सकेगा।

लाभार्थी कृषकों द्वारा योजनान्तर्गत स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किये पौधों का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- हल्दी एवं अदरक रोपण सामग्री की व्यवस्था-

विभाग में संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत हल्दी एवं अदरक की टी.एस.जी. द्वारा चयनित प्रजातियों के बीजों को ई निविदा के माध्यम से न्यूनतम एफ.ओ.आर. दरों पर सहमत फर्म/कम्पनी/संस्था को इम्पैनल्ड कर लाभार्थी कृषकों को उनकी स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा।

लाभार्थी कृषकों द्वारा योजनान्तर्गत स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किये गये हल्दी/अदरक के बीजों के सापेक्ष अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

3- **लहसुन एवं प्याज बीज की व्यवस्था-**

लहसुन एवं प्याज बीज की True to the type & quality assurance की सुनिश्चित्ता हेतु बीज राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा सीधे राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान(एन.एच.आर.डी.एफ.), नासिक से उनकी दरों पर क्रय कर लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सीमा तक उपलब्ध कराया जायेगा। भारत सरकार से वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्राप्त होते ही जनपद की मांग के अनुसार तत्काल एन.एच.आर.डी.एफ., नासिक, महाराष्ट्र से प्याज एवं लहसुन बीज का अग्रिम आरक्षण कराकर विभाग द्वारा क्रय कर चयनित लाभार्थी कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- **संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज व्यवस्था-**

उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त संकर शाकभाजी एवं मसाला बीजों की प्रजातियों का चिन्हीकरण टी.एस.जी. की बैठक में निर्धारित कराया जायेगा। टी0एस0जी0 द्वारा संस्तुत प्रजातियों के संकर शाकभाजी एवं मसाला बीजों की जनपद स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय स्तर से मूल उत्पादक कम्पनियों को ई.ओ.आई.के माध्यम से इम्पैनल्ड किया जायेगा। इम्पैनल्ड संस्थाओं द्वारा जनपदवार निर्धारित तिथियों पर कैम्प लगाकर अपनी-अपनी चिन्हिंत प्रजातियों के बीजों को चयनित लाभार्थियों को उनकी स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर पैकिंग साइज में इंगित एम.आर.पी. से अनधिक दरों पर क्रय हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

लाभार्थी कृषकों द्वारा योजनान्तर्गत स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किये गये बीजों के सापेक्ष अनुदान की धनराशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

5- **पुष्प के बीज/बल्ब/कार्म की व्यवस्था-**

5.1 टी.एस.जी. द्वारा रजनीगंधा बल्ब एवं गेंदा बीज की चिन्हित/संस्तुत प्रजातियों की व्यवस्था ई. निविदा के माध्यम से न्यूनतम् एफ.ओ.आर. दरों पर सहमत फर्म/कम्पनी/संस्था को इम्पैनल्ड कर किया जायेगा। इम्पैनल्ड आपूर्तिकर्ताओं से लाभार्थी कृषकों द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार रजनीगंधा बल्ब एवं गेंदा बीज की प्रजातियों का क्रय नगद मूल्य पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा नगद

http://shasanadesh.up.nic.in

मूल्य पर क्रय किये गये टी.एस.जी. द्वारा चिन्हित/संस्तुत रजनीगंधा बल्ब एवं गेंदा बीज के सापेक्ष अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

5.2 आयातित ग्लैडियोलस कार्म की व्यवस्था/प्रबन्धन आयात-निर्यात लाइसेन्स प्राप्त आपूर्ति कर्ताओं से ई-निविदा के माध्यम से न्यूनतम् एफ0ओ0आर0 दरें प्राप्त कर इम्पैनल्ड सहमत संस्थाओं से विभाग द्वारा प्रबन्धित किया जायेगा। आपूर्तित ग्लैडियोलस कार्म की डिलीवरी प्वाइंट पर स्टाक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण के उपरान्त 80 प्रतिशत् भुगतान तथा शेष 20 प्रतिशत् भुगतान फसल की दशा(परफारमेंन्स) सन्तोषजनक पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को किया जायेगा।

6- **बायोफर्टीलाइजर/बायोपेस्टीसाइड व बायोएजेन्ट्स की व्यवस्था-**

विभागीय विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कृषि निवेशों यथा बायोफर्टिलाइजर/ बायोपेस्टीसाइट्स व बायोएजेन्ट्स की व्यवस्था मूल उत्पादक कम्पनियों/फर्मों से ई.ओ.आई. के माध्यम से इम्पैनल्ड कर की जायेगी। चयनित लाभार्थी द्वारा इम्पैनल्ड संस्थाओं से आवश्यकतानुसार निवेश सामग्री नगद मूल्य पर एम.आर.पी. से अनधिक दरों पर क्रय की जायेगी। चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा नगद मूल्य पर क्रय किये गये कृषि निवेशों के सापेक्ष अनुदान की धनराशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

7- **वर्मी कम्पोस्ट/नीमकेक की व्यवस्था-**

विभागीय विभिन्न योजनाओं में वर्मी कम्पोस्ट, नीमकेक, की व्यवस्था एफ.सी.ओ. एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्थाओं से ई.निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम एफ.ओ.आर. दरों पर सहमत संस्थाओं को इम्पैनल्ड कर चयनित लाभार्थी कृषकों को नगद मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा नगद मूल्य पर क्रय किये गये वर्मी कम्पोस्ट, नीमकेक के सापेक्ष अनुदान की धनराशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

8- **एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड एवं मल्चिंग शीट(ब्लैक एवं ट्रान्सपैरेन्ट) की व्यवस्था-**

विभागीय विभिन्न योजनाओं में एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड, मल्चिंग शीट(ब्लैक एवं ट्रान्सपैरेन्ट) की व्यवस्था बी.आई.एस. स्टैण्डर्ड प्राप्त मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्था से नगद मूल्य पर एम.आर.पी. से अनधिक दरों पर लाभार्थी कृषकों द्वारा क्रय कर की जायेगी। लाभार्थी कृषिकों द्वारा योजनान्तर्गत स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किये गये एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड, मल्चिंग शीट (ब्लैक एवं ट्रान्सपैरेन्ट) के सापेक्ष अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

9- **टिशूकल्चर केले के पौध की व्यवस्था-**

जी-9 टिशूकल्चर केले के पौधों की व्यवस्था भारत सरकार के बायोटेक्नोलाजी विभाग के एन0सी0 एस0-टी0सी0पी0 प्रमाण-पत्र प्राप्त संस्थाओं को ई0ओ0आई0 के माध्यम से इम्पैनल्ड किया जायेगा। योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड संस्थाओं से नगद मूल्य पर लाभार्थी कृषकों द्वारा अपनी स्वेच्छानुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषिकों द्वारा योजनान्तर्गत स्वेच्छानुसार नगद मूल्य पर क्रय किये गये जी-9 टिशूकल्चर केले के पौधों के सापेक्ष अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से सीधे उसके खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

10- संरक्षित खेती-

योजनान्तर्गत शेडनेट, पालीग्रीन हाउस हेतु चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा परियोजना प्रस्ताव निर्धारित रूप पत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से निदेशालय में प्रस्तुत किया जायेगा। सक्षम स्तर से परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी कृषकों द्वारा भारत सरकार के निर्धारित मानकों के आधार पर चिन्हित ईरेक्शनकर्ताओं से अपनी स्वेच्छानुसार निर्माण कराया जायेगा। स्थापित स्ट्रक्चर का एम0आई0डी0एच0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप निदेशालय से गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। मानक के अनुरूप पाये जाने पर धनराशि रू0-10 लाख की सीमा तक भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला औद्यानिक मिशन (डी0एच0एम0) तथा धनराशि रू0-10 लाख से अधिक का भुगतान राज्य औद्यानिक मिशन (एस0एच0एम0) के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा किया जायेगा।

11- बागवानी में मशीनीकरण की योजना-

योजनान्तर्गत एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशों में बागवानी हेतु अनुमन्य मशीन एवं उपकरण का परियोजना प्रस्ताव जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक जनपद के चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। निदेशालय स्तर से परियोजना का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा आई0एस0आई0/बी0आई0एस0 स्टैण्डर्स मशीन/उपकरण नगद मूल्य पर पंजीकृत/अधिकृत मशीन एवं उपकरण विक्रेताओं से क्रय किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों द्वारा नगद मूल्य पर क्रय किये गये मशीन एवं उपकरण के सत्यापन के उपरान्त डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशों में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा किया जायेगा।

12- लोटनल पॉलीहाउस की व्यवस्था-

विभागीय विभिन्न योजनाओं में लोटनल पॉलीहाउस की व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकृत मूल उत्पादक फर्म/कम्पनी/संस्थाओं से ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम एफ.ओ.आर. दरों पर सहमत संस्थाओं को इम्पैनल्ड किया जायेगा। इम्पैनल्ड संस्थाओं से उनकी आवंटित मात्रा की सीमा तक विभाग द्वारा प्रबन्धित कर लाभार्थी कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। आपूर्तित लो-टनल पालीहाउस का स्टाक सत्यापन के उपरान्त 80 प्रतिशत् भुगतान तथा सीपेट से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट मानक के अनुरूप पाये जाने पर शेष 20 प्रतिशत का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

13- निजी क्षेत्र में शाकभाजी बीज उत्पादन-

योजनान्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषकों द्वारा एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशानुसार शाकभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव जिला उद्यान अधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय स्तर पर परियोजना प्रस्तावों का परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं के संसाधन से चयनित/स्वीकृत क्षेत्रफल हेतु शाकभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम कराया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा कराये गये शाकभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम का सत्यापन एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीनस्थ उद्यान कर्मियों द्वारा किया जायेगा। शाकभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम संतोषजनक एवं मानक के अनुरूप पाये जाने पर सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशों में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा किया जायेगा।

14- मौनपालन कार्यक्रम-

योजनान्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषक द्वारा नेशनल बी बोर्ड से पंजीकृत संस्थाओं/कम्पनियों से एम.आई.डी.एच. के दिशा निर्देशानुसार स्वयं के संसाधनों से नकद मूल्य पर मौन गृह, मौन वंश एवं सहायक उपकरण क्रय किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद में निदेशालय द्वारा गठित समिति द्वारा शत्-प्रतिशत् सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन आख्या एम.आई.डी.एच. के दिशा निर्देशानुसार संतोषजनक पाये जाने पर सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशों में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

15- वर्मी कम्पोस्ट इकाई/पक्का स्ट्रक्चर-

योजनान्तर्गत प्रदेश के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं के संसाधन से वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण एम0आई0डी0एच0 के दिशा निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा। सम्बधित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीनस्थ उद्यान कर्मियों द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से एम.आई.डी.एच. के दिशा निर्देशों में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

16- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)

वित्तीय वर्ष 2016-17 से ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे और प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपयुक्तता के अनुसार सूचीबद्ध करते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा। योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य कराया जायेगा तथा उसके सापेक्ष फर्म को भुगतान निजी क्षेत्र से करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

एकमुश्त निजी स्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है। लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

17- विविध-

एम.आई.डी.एच. योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में पौधशाला, टिशूकल्चर प्रयोगशाला, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई, मशरूम इकाई, शीतगृह, पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह, लघु प्रसंस्करण इकाई एवं मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव प्रदेश के पंजीकृत/चयनित योजना लाभार्थियों से ऑन लाइन आवेदन-पत्र प्राप्त कर परीक्षणोंपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन/स्वीकृत कराया जायेगा। पंजीकृत/चयनित कृषकों के द्वारा स्वयं के संसाधनों से इकाई का निर्माण कराया जायेगा। निदेशालय के द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। मानक के अनुरूप पाये जाने पर डायरेक्ट फेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर पर भी कार्यवाही अपेक्षित है-

1. प्रदेश के इच्छुक कृषक पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं के अनुसार अपना पंजीकरण कृषक लोकवाणी/सामान्य सुविधा केन्द्र/साइबर कैफे अथवा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी के स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर फार्म भरकर फसल विशेष की उपयुक्त रोपण अवधि अथवा विलम्बतम् दिनांक 30 नवम्बर,2016 तक करा सकेंगे। जनपद स्थित कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से पंजीकृत कृषकों को तत्काल पोर्टल पर सूचनाएं फीड कराकर पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत/चयनित कृषकों की सूची जनपद स्तर पर प्रदर्शित/चस्पा की जायेगी।

2. कृषक को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे-पहचान पत्र, खतौनी/किसान वही एवं बैंक खाते की प्रति सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी को पंजीकरण की तिथि के तीन दिवस के भीतर उपलब्ध करानी होगी। सभी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

3. कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए पंजीकृत कृषकों को श्रेणीवार "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर जनपद स्तर पर कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए योजना के दिशा निर्देशों में अधिकतम् अनुमन्य क्षेत्रफल के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की सीमा तक ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4. चयनित प्रत्येक लाभार्थी को योजनान्तर्गत कार्यक्रम/फसल विशेष के लिए योजनाओं के दिशा-निर्देशानुसार ही चयनित करना होगा। किसी भी दशा में द्विरावृति नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कार्यक्रम/फसल विशेष के अन्तर्गत आवश्यक रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों की व्यवस्था पंजीकृत/चयनित कृषकों को ई0ओ0आई0/ई-निविदा के माध्यम से इम्पैनल्ड संस्थाओं के द्वारा जनपद स्तर पर निर्धारित तिथियों में आयोजित कैम्पों में नकद मूल्य पर उपलब्ध कराना होगा। कृषकों के द्वारा नकद मूल्य पर क्रय की गयी रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों की रसीद सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कार्यक्रम/फसल विशेष में क्रय की गयी रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों का सत्यापन करते हुए अधिकतम् एक माह के भीतर अनुदान की धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में किया जायेगा।

6- उपरोक्तानुसार क्रय की गयी रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों का जमाव/परफारमेन्स/गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7. कार्यक्रम/फसल विशेष हेतु पंजीकृत/चयनित कृषक योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमन्य क्षेत्रफल की सीमा तक ही आवेदन कर सकता है। रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों की प्राप्ति रसीद तीन प्रतियों में आपूर्तिकर्ता द्वारा बनायी जायेगी, जिसमें से एक प्रति कृषक को उपलब्ध करा दी जायेगी, रसीद की दूसरी प्रति कृषक के द्वारा भरे गये फार्म एवं सूची के साथ सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. रोपण सामग्री/अन्य निवेशों के पंजीकृत/चयनित लाभार्थी द्वारा जनपद स्तर पर नकद मूल्य पर क्रय की संकलित रिपोर्ट सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिवस पर ई-मेल **dhtuphorti@gmail.com** के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित करनी होगी।

प्रारूप

क्र. सं.	जनपद का नाम	आपूर्ति कर्ता संस्था का नाम	कार्यक्रम का नाम	फसल का नाम	प्रजाति का नाम	निवेशों का नाम	कुल क्रय की गयी रोपण सामग्री/ अन्य निवेश की मात्रा(किग्रा0/ संख्या में)	कुल लाभान्वित कृषकों की सं0	कुल मूल्य रू0 में	आर0टी0 जी0एस0 के माध्यम से हस्तांतरित धनराशि (रू0 में)

http://shasanadesh.up.nic.in

कृषकों के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में से आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप

क्र0सं0	मद	विवरण	
01	जनपद		
02	तहसील		
03	विकास खण्ड		
04	राजस्व ग्राम का नाम		
05	कृषक का नाम एवं पिता का नाम		
06	गाटा/खसरा नम्बर		
07	क्षेत्रफल		
08	बैंक की शाखा का नाम		
09	बैंक खाता संख्या		
10	आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 हेतु आई0एफ0एस0सी0कोड		
11	कार्यक्रम का नाम		
12(अ)	फसल/प्रजाति	नाम-	
12(ब)		मात्रा(संख्या/ग्राम में)	
13	निवेश:-		
1	बायोफर्टिलाइजर/बायोपेस्टीसाइ/बायोएजेन्ट		मात्रा(ग्राम/मि0ली/संख्या में)
2	बर्मीकम्पोस्ट/नीमकेक		मात्रा(किलोग्राम में)
3	एच0डी0पी0ई0 बर्मीबेड/मल्चिंगशीट		मात्रा(संख्या/मीटर में)
4	ड्रिप		मात्रा(हेक्टेयर में)
5	स्प्रिंकलर		मात्रा(हेक्टेयर में)
6	शेडनेट हाउस		मात्रा(वर्गमीटर में)
7	पालीग्रीन हाउस		मात्रा(वर्गमीटर में)
8	मौनगृह/मौनवंश		मात्रा(यूनिट/संख्या में)
9	बर्मीकम्पोस्ट इकाई		मात्रा(यूनिट/संख्या में)
10	मशीन/उपकरण का नाम		मात्रा(संख्या में)

हस्ताक्षर कृषक

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय के द्वारा भरा जायेगा		
13	1-कृषक अंश की धनराशि(रू0में)	
	1-अनुमन्य अनुदान की धनराशि(रू0 में)	
14	कुल मूल्य(रू0 में)	
.....कृपया यहां से फाड़े.....		

प्राप्ति रसीद (लाभार्थी कृषक को उपलब्ध करायें)

श्री.....पुत्र.....ग्राम.....ब्लाक.....जनपद

.....से.....योजना का नाम.....कार्यालय का नाम.....फसल.....

प्रजाति/सामग्री/उपकरण.....के बीज/निवेश/उपकरण/अन्य की मात्रा.....

ग्राम/किलोग्राम/संख्या का कैश मेमों दिनांक..... को प्राप्त किया।

अनुदान की दर

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**कार्य क्रम का नाम**	**फसल का नाम**	**अधिक तम क्षेत्र फल (हे0 में)**	**रोपण सामग्री/ अन्य निवेश/ उपकरण आदि का नाम**	**प्रजाति/ निवेश/ उपकरण का नाम**	**रोपण सामग्री/निवेश/ उपकरण की मात्रा (ग्राम/मि0 ली0/कि0ग्रा0/ संख्या में)**	**अनुदान की धनराशि (रू0 में)**
01								
02								
03								
04								
योग								

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

सील

http://shasanadesh.up.nic.in

9. उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन डी0बी0टी0 के माध्यम से कराये जाने हेतु कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा विकसित पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 की कार्ययोजनाओं के अनुरूप यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन कराया जायेगा। प्रदेश के 18 मण्डलों के उपनिदेशक उद्यान एवं 75 जनपदों के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी कृषि विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉग-इन पासवर्ड का उपयोग करते हुए इस साफ्टवेयर के प्रयोग हेतु अधिकृत होंगे।

10. योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पंजीकरण एवं वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा, ताकि प्रदेश के इच्छुक अधिक से अधिक कृषक इन योजनाओं का लाभ उठा सके।

11. उपरोक्त प्रस्तरों में इंगित गतिविधियों हेतु निर्धारित तिथियों को आवश्यकतानुसार फसल की बुवाई की अवधि को देखते हुए निदेशक द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

12. उद्यान विभाग के कार्यक्रमों हेतु प्रदेश के इच्छुक नवीन कृषकों के पंजीकरण एवं वितरण हेतु कृषि विभाग द्वारा लागिन (Login) एवं पासवर्ड उद्यान विभाग के अधिकारियों को दिया जायेगा। परन्तु पूर्व से पंजीकृत कृषकों के विवरण में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तो इसका अधिकार पूर्व की भांति कृषि विभाग को ही प्रदत्त रहेगा।

उपरोक्त व्यवस्था उद्यान विभाग में संचालित समस्त योजनाओं के कार्यक्रमों पर लागू होगी तथा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपनायी जायेगी। तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2016-912(1)/58-2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in